बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग
अधिसूचना

संख्या–5/स्था० (विविध) क्षे०–08–58/2014 143(S) पटना–15, दिनांक–08/01/2021

भारत–संविधान के अनुच्छेद–**309** के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार राज्य के पथ निर्माण विभाग के अधीन क्षेत्रीय कार्यालयो (अंचल) हेतु बिहार, पथ निर्माण विभाग अमीन संवर्ग (क्षेत्रीय स्थापना) (भर्ती एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2017' का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ** ।–**(1)** यह नियमावली, 'बिहार, पथ निर्माण विभाग अमीन संवर्ग (क्षेत्रीय स्थापना) (भर्ती एवं सेवाशर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2020' कही जा सकेगी।

   (2) यह सम्पूर्ण बिहार राज्य में लागू होगी।

   (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. **बिहार, पथ निर्माण विभाग अमीन संवर्ग (क्षेत्रीय स्थापना) (भर्ती एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2017 के नियम–2 के उप नियम–(vi) का प्रतिस्थापन**।–उक्त नियमावली, 2017 के नियम–2 के उपनियम–(vi) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

   "(vi) परीक्षा प्राधिकार से अभिप्रेत है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग अथवा बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद् (BCECEB) अथवा पथ निर्माण विभाग द्वारा इस निमित्त चयनित अन्य प्राधिकार।"

3. **बिहार, पथ निर्माण विभाग अमीन संवर्ग (क्षेत्रीय स्थापना) (भर्ती एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2017 के नियम–6 के उप नियम–(1) का प्रतिस्थापन**।–उक्त नियमावली, 2017 के नियम–6 के उप नियम–(1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

   "(1) अमीन की पदों पर सीधी नियुक्ति परीक्षा प्राधिकार द्वारा अमीन के पदों पर आयोजित परीक्षा में प्राप्त अंक एवं अनुभव के लिए अवधारित अंकों को जोड़कर घोषित परीक्षाफल के अनुसार प्राप्त अनुशंसा के आधार पर की जायेगी।"

4. **बिहार, पथ निर्माण विभाग अमीन संवर्ग (क्षेत्रीय स्थापना) (भर्ती एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2017 के नियम–6 के उप नियम–(1) के बाद नया उप नियम–(1) (क) का जोड़ा जाना**।–निम्नलिखित उप नियम–(1) (क) उक्त नियमवाली, 2017 के नियम–6 के उप नियम (1) के बाद जोड़ा जायेगा :–

"(1) (क) सभी संबंधित अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार से पृथक रूप से अधियाचना विभाग के माध्यम से परीक्षा आयोजन हेतु प्राधिकृत परीक्षा प्राधिकार को उपलब्ध करायी जायेगी तथा उक्त परीक्षा प्राधिकार से अनुशंसा भी पृथक रूप से प्राप्त की जायेगी।"

5. **बिहार, पथ निर्माण विभाग अमीन संवर्ग (क्षेत्रीय स्थापना) (भर्ती एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2017 के नियम–6 के उप नियम–(2) के बाद नया उप नियम–(3) का जोड़ा जाना।**–निम्नलिखित उप नियम–(2) उक्त नियमवाली, 2017 के नियम–6 के उप नियम (2) के बाद जोड़ा जायेगा :–

"(3) अमीन पद पर सीधी नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्रों का लघु सूचीकरण (short-listing) अभ्यर्थियों के इंटरमीडिएट एवं इंटरमीडिएट समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों तथा राज्य सरकार के अधीन अनुभव प्राप्त अमीनों का उनके अनुभव के आधार पर विभाग/परीक्षा प्राधिकार के द्वारा किया जायेगा, जो कुल रिक्ति के 10 गुणा से कम नहीं होगा।"

6. **बिहार, पथ निर्माण विभाग अमीन संवर्ग (क्षेत्रीय स्थापना) (भर्ती एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2017 के नियम–7 का प्रतिस्थापन।**–उक्त नियमावली, 2017 के नियम–7 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

"7–लिखित प्रतियोगिता परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम।– अमीन के पद पर चयन हेतु प्राधिकृत परीक्षा प्राधिकार द्वारा 75 अंकों की प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। प्रतियोगिता परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें निम्नलिखित दो भाग होंगे।

(i) प्रथम खण्ड।– सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटना, सामान्य विज्ञान तथा सामान्य हिन्दी–50 अंक

(ii) द्वितीय खण्ड।– सामान्य गणित–25 अंक"।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

7.1.21

(अमृत लाल मीणा)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–5/स्था० (विविध) क्षे०–8–58/2014– 144(S) पटना–15, दिनांक– 08/01/2021

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7.1.21.

(अमृत लाल मीणा)
अपर मुख्य सचिव।

(180)

ज्ञापांक–5/स्था० (विविध) क्षे०–8–58/2014– 144 (S) पटना–15, दिनांक– 08/01/2021

प्रतिलिपि–महामहिम राज्यपाल के सचिव/माननीय मुख्य मंत्री के सचिव/मुख्य सचिव, बिहार/सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सचिव, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, सभी उपभाग (रा०उ० पथ, यॉंत्रिक उपभाग सहित), पथ निर्माण विभाग, बिहार/सभी अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार (पथ/रा०उ० पथ एवं यॉंत्रिक अंचल सहित)/सभी कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार (पथ/रा०उ० पथ एवं यॉंत्रिक प्रमंडल सहित)/पथ निर्माण विभाग, पटना के सभी पदाधिकारी एवं सभी प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7.1.21

(अमृत लाल मीणा)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–5/स्था० (विविध) क्षे०–8–58/2014– 144 (S) पटना–15, दिनांक– 08/01/2021

प्रतिलिपि–अधीक्षक, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की दो–हार्ड कॉपी सी०डी० सहित बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण को जानकारी हेतु प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनु०–यथोक्त।

7.1.21

(अमृत लाल मीणा)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–5/स्था० (विविध) क्षे०–8–58/2014– 144 (S) पटना–15, दिनांक– 08/01/2021

प्रतिलिपि–आई० टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, पटना को इस निदेश के साथ प्रेषित है कि इसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाय।

7.1.21

(अमृत लाल मीणा)
अपर मुख्य सचिव।